ओ॰२.

विज्ञप्ति

चूंकि इसके साथ सलग्न अनुसूचि में समादिष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई, विज्ञप्ति के अनुसरण में दिया जा चुका है,

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि, कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव ।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
१	२	३	४	५	६
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	सीमा विवरण परिशिष्ट-अ, संलग्न है ।

[illegible] 903

प्रान्तीय वन बन्दोबस्त, सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर

खसरा : बन्दोबस्त : बाबत वनखण्ड-भोमा छोटा 903-रेन्ज सीकर---सम्वत

ग्राम नम्बर	क्षेत्रफल	तफसील किस्म जमीन	खातेदार अथवा शिकमी खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
भोमा छोटा				
126	3445/9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible]	5/2	"	"	"
180 [illegible]	2/4	"	"	"
200	2245	[illegible] 22315/4 [illegible] 5/9	"	"
	5691[illegible]/9			

Assistant Settlement Officer
Jaipur (Rajasthan)

21-8-64

84

प्र प त्र "ओ"

एफ 6(१६४) रा.क./६२

वि ज्ञ प्ति

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेख राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञ के अनुसरण में किया जा चुका है.

अतः, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा.

s.d

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह. [illegible]

[illegible]

शासन सचिव,

राजस्थान सरकार

जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
१	२	३	४	५	६
सीकर	लछमनगढ	लछमन गढ बीड सं०८९	लछमन गढ	९१२-४०६ एकड़	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है.

नेगोशिल 9.429

363.65

TRUE COPY

[illegible]

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी

जयपुर (राजस्थान)

५९ ५८/६ ५-१

फार्म (बी)

कार्यालय वन बन्दोबस्त सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर

खसरा बन्दोबस्त बाबत वन खण्ड [illegible] रेन्ज [illegible]

ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] [illegible]

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार अथवा शिकमी खातेदार का नाम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
३२२	७४[illegible]	[illegible]	सरकार	६/४१)
३२५/१	१२२[illegible]	[illegible]	सरकार	११५२)
१०१४	२६ [illegible]	—"—	—"—	२२४

[illegible]

TRUE COPY

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

53

(Form 1/B)

स० वन बन्दोबस्त अधिकारी, ________ का संक्षिप्त प्रतिवेदन

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक महोदय

श्रीमान् ______________________

राजस्थान

____

जयपुर

____

विषयः—वनखण्ड [illegible]

रेन्ज [illegible] जिला [illegible] के अधिकार

व अनुदानों के प्रकार व सीमा अभिलेखन।

राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या [illegible] जो राजस्थान राजपत्र दिनांक 22.12.66 में प्रकाशित हुई, के जरिये उपरोक्त वन-खण्ड को राजस्थान वन अधिनियम (संख्या १३, १९५३) की धारा २९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में रक्षित वन घोषित करते हुए, उस पर उक्त अधिनियम के चतुर्थ अध्याय के प्रावधान लागू किये थे और फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर की नियुक्ति सरकार अथवा किसी व्यक्ति के अधिकार व अनुदानों के प्रकार व विस्तार के विषय में पूछताछ अभिलेखन हेतु की थी।

फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर ने नियमानुसार तीन माह की अवधि में आपत्तियां आमन्त्रित करने की उद्घोषणा खण्ड के समीपस्थ ग्रामों में दिनांक [illegible] को जारी की।

उक्त अधिकारी ने मौके पर आपत्तियों की सुनवाई की और मुआमले पर निर्णय दिये। प्रत्येक मुआमले पर किये गये निर्णय पत्रावली में संलग्न हैं।

आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और अधिनियम की धारा १७ के अधीन कोई अपील अधिकारी के पास विचाराधीन नहीं है।

अतः उक्त निर्णयों के अनुसार अब इस वन-खण्ड के अधिकार व अनुदानों की संक्षिप्त सूची मय मानचित्र के प्रेषित की जाती है, जिसे अनुमोदन कर प्रकाशन की कार्यवाही फरमायें।

स० वन बन्दोबस्त अधिकारी।
(राज०) जयपुर

रा० मु० उ० 491-7-68-5,000 फा०

राजपत्र ग्रुप 8

F-2(14)राज/8/85 प्रस (ओ)

विज्ञप्ति

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

राजस्थान जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
[illegible]र	[illegible]णगढ़	[illegible]रा	[illegible]रा	[illegible] एकड़ या 1.76 वर्ग कि.मी.	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है

वन खण्ड में शामिल रकबा

फार्म [बी]

कार्यालय वन बन्दोबस्त/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, (प्लान) जयपुर

खसरा बन्दोबस्त बाबत वन खण्ड [illegible] रैन्ज [illegible]

नाम ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला सीकर सम्वत् वर्ष

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	खातेदार अथवा शिकमी खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
१५७/१	१५४४-१०	गैर मुमकिन पहाड़	सरकार	
१५८ कुल	८४८८-३	गैर मुमकिन पहाड़	do	
४१२ do	१३३॥	do	do	
४६३ do	१२४॥-२	do	do	
४६२ कुल	१७॥-२	do	do	
४८८ do	७७॥	do	do	
	६६६॥ १-१० बिस्वा या ४३४.२४ एकड़ या १.७६ वर्ग कि. मी.			

sd/ अमीन

sd/ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान) जयपुर

तैयार किया/ ~~अमीन बन्दोबस्त~~ अधिकारी

चैक किया/ [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
(प्लान) सीकर
बड़ा तालाब [illegible], सीकर (राज०)